

एनआरआई (NRI) को प्रॉक्सी द्वारा वोट देने की अनुमति के लिये वधियक पारति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में गैर-नवासी भारतीयों (NRI) को प्रॉक्सी के माध्यम से चुनाव में मतदान करने की इज़ाज़त देने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक वधियक पारति कया गया।

परमुख बदि

- कई अनवासी भारतीयों ने पूरव में यह शकियात की थी कवे चुनाव में मतदान करने में "असमर्थ" हैं और इस प्रकार सरकार ने उनके लयि प्रॉक्सी मतदान की अनुमति देने का फैसला कया था।
- वपिक्ष के कई सदस्यों ने इस बात पर अपनी चति व्यक्त की क कया एनआरआई द्वारा चुनाव प्रॉक्सी एनआरआई की पसंद के अनुसार मतदान करेगा?
- इस पर भी प्रश्न उठाया गया क चूँक संवधान प्रत्येक व्यक्ता को केवल एक वोट देने की अनुमति देता है, तो ऐसे में प्रॉक्सी को फरि से मतदान करने का मौका कैसे मल्लेगा और एक अकेला प्रॉक्सी कतिने एनआरआई के लयि वोट दे सकेगा?
- प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देने से मतदान प्रक्रया की गोपनीयता और चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं का सटीक पंजीकरण सुनश्चिती करने से संबंधति सवाल भी लोकसभा में उठाया गया।
- केंद्रीय वधि और न्याय मंत्री ने इन प्रश्नों पर प्रतक्रया देते हुए कहा क नियमों को तैयार करते समय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी चतिओं पर ध्यान दया जा सकता है।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parliament-monsoon-session-lok-sabha-passes-bill-to-allow-nris-to-vote-by-proxy>